कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ म.प्र.

क्रमांक 5A/सा.अनु./2020 झाबुआ, दिनांक 25 मार्च, 2020

परिपत्र

एतद् द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक क्यू–5 जबलपुर, दिनांक 25.03.2020 के अनुक्रम में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:–

1. दिनांक 26.03.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक जिला मुख्यालय, झाबुआ एवं तहसील न्यायालय थांदला, पेटलावद एवं कुटुम्ब न्यायालय में अकार्य दिवस होगा एवं जिला न्यायालय, झाबुआ, तहसील न्यायालय थांदला, पेटलावद में तत्काल प्रभाव से दिनांक 14.04.2020 तक कोई न्यायालयीन कार्य नहीं होगा।

2. जिला न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय या प्रभारी अधिकारी की विनिर्दिष्ट अनुमति के बिना जिला न्यायालय, झाबुआ, कुटुम्ब न्यायालय, झाबुआ एवं तहसील न्यायालय थांदला, पेटलावद स्थित समस्त न्यायालयों में सभी व्यक्तियों/पक्षकार/अधिवक्तागण का प्रवेश दिनांक 14.04.2020 तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

3. कोई भी मामला जब तक कि वह Urgent या Eminrntly emergent प्रकृति का न हो जिला न्यायाधीश/कुटुम्ब न्यायाधीश या उनके प्रभारी की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं किया जावेगा।

4. उपरोक्त प्रयोजन हेतु नामित न्यायिक अधिकारीगण अपने–अपने न्यायालय कक्ष/कान्फ्रेन्स कक्ष में उपरोक्त मामलों की सुनवाई करेंगे। उपरोक्त न्यायिक अधिकारीगण अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य जमानत/रिमाण्ड/स्थगन (निषेधाज्ञा) संबंधी कार्य भी करेंगे। ऐसे नामित न्यायिक अधिकारीगण की सूची पृथक से जारी की गई है।

-----2

5. उपरोक्त अनुमति प्रदान किये जाने के बाद विडियो कान्फ्रेंसिंग अथवा अन्य प्रकार से जैसा कि संबंधित न्यायिक अधिकारी द्वारा उचित समझा जावे, उपरोक्त सुनवाई इस प्रकार की जा सकेगी कि जिससे कि उपरोक्त वायरस का संक्रमण रोका जा सके।

6. ऐसी अनुमति प्राप्त करने वाले अधिवक्ताओं/पक्षकारों को ही जिला न्यायालय परिसर/बाह्यवर्ती न्यायालय के परिसर में प्रवेश दिया जावेगा।

7. जिला एवं सत्र न्यायालय, झाबुआ से उक्त संबंध में अनुमति इस स्थापना पर पदस्थ श्री दिनेश जैन, प्रशासनिक अधिकारी से मोबाईल नंबर 9406659922 पर एवं ई–मेल आईडी dinesh7816@gmial.com

8. किसी भी अधिवक्ता अथवा पक्षकार द्वारा न्यायालय संबंधित किसी कार्य (प्रशासनिक या न्यायिक) के संबंध में श्री दिनेश जैन, प्रशासनिक अधिकारी से मोबाईल नंबर 9406659922 पर एवं ई–मेल आईडी dinesh7816@gmial.com पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकेगी।

9. कुटुम्ब न्यायालय, झाबुआ से संबंधित मामलों में अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय/प्रभारी अधिकारी की अनुमति के पश्चात् की जा सकेगी, जिसमें प्रधान न्यायाधीश/प्रभारी अधिकारी ही इस बात का निराकरण करेंगे कि कोई मामला अत्यावश्यक प्रकृति का है या नहीं।

10. जिला झाबुआ के अंतर्गत आने वाले विभिन्न आरक्षी केन्द्र से रिमाण्ड संबंधी कार्यवाही/जमानत आवेदन संबंधी केस डायरी/कैफियत प्रतिदिन लेकर उपस्थित होने वाले संबंधित थाने के पुलिस अधिकारी/प्रधान आरक्षक/आरक्षक को ही न्यायालय भवन में प्रवेश दिया जावेगा।

-------3

11. सभी न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण मुख्यालय पर ही रहेंगे और अपने मोबाईल फोन/सम्पर्क नंबर चालू रखेंगे, जिससे कि अतिआवश्यक एवं आपातकालीन परिस्थितियों में उनकी सेवायें ली जा सकें।

12. सभी न्यायिक अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा उक्त संबंध में माननीय उच्च न्यायालय/केन्द्र सरकार/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी सर्कुलर आदि में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे और उक्त निर्देशों की किसी भी प्रकार से अवज्ञा/उल्लंघन को गंभीरता से लिया जावेगा।

13. जिला न्यायालय, झाबुआ/कुटुम्ब न्यायालय एवं बाह्यवर्ती न्यायालयों में दिनांक 31.03.2020 तक के लंबित प्रकरणों में अग्रिम दिनांक पूर्व से ही नियत की जा चुकी है। दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक के लिए नियत प्रकरणों में नियत अग्रिम दिनांक की सूचना पृथक से दी जावेगी।

Sd/
(महेश कुमार शर्मा)
प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
झाबुआ म.प्र.

पृष्ठां.कमांक............/सां.अनु./2020 झाबुआ, दिनांक 25.03.2020

<u>प्रतिलिपिः—</u>

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर उक्त सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, झाबुआ की ओर सभी संबंधितों को ई—मेल किये जाने हेतु प्रेषित।
7. जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
8. पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. अधीक्षक, जिला जेल, झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
10. लोक अभियोजक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी,झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
11. संचालक, जन सम्पर्क विभाग, भोपाल की ओर समाचार—पत्रों में प्रकाशनार्थ।
12. समस्त कर्मचारीगण की ओर पालनार्थ।
13. प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायालय, झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

25.03.2020

(महेश कुमार शर्मा)
प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
झाबुआ म.प्र.